कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र ,मीरजापुर

पत्रांकःसा0– / मी0क्षे0 / 33 / दिनांक,मीरजापुर, फरवरी 27, 2020

सेवा में,

1–प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर ।

2–प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

विषयः– ओबरा–सी बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 400 के0वी0 डबल सर्किट जौनपुर–ओबरा पारेषण लाइन निर्माण हेतु मीरजापुर वन प्रभाग में प्रभावित 46.879 हे0 आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 364 वृक्षों एवं 494 बॉस कोठी में से 238 वृक्षों एवं 290 बॉस कोठीं के पातन एवं ओबरा वन प्रभाग के 2.434 हे0 आरक्षित वन भूमि के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव।

सन्दर्भः– प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर का पत्रांक 3250 / मीरजापुर / दिनांक 19.02.2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक के सम्बन्ध में प्रस्ताव 4 प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रेषित किये गये प्रस्ताव का परीक्षणोपरान्त निम्न कमियॉ / अभिलेखों का अभाव पाया गया ।

1– Done प्रस्तावित परियोजना की लीज अवधि पार्ट–1 ऑन लाइन में 35 वर्ष तथा प्रस्ताव में संलग्नक प्रमाण–पत्र में 37 वर्ष उल्लेख किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। अतः स्पष्ट बचनबद्धता एवं लीज अवधि अंकित कर ऑन लाइन अपलोड करें।

2– Done प्रस्तावित परियोजना में पार्ट–1 हार्ड कापी संलग्न नहीं की गयी है।

3– Done प्रस्तावित परियोजना में संलग्न अभिलेखों की सूची में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत उप जिला स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति तथा निधारित प्रारूप में जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र तिथि, मुहर एवं हस्ताक्षरकर्ता के नाम सहित उल्लेख किया गया है जबकि प्रस्ताव में संलग्नक अन्डर टेकिंग एफ0आर0ए0 सर्टीफिकेट में भारत सरकार के पत्र संख्या एफ0एन0 11–9 / 98–एफ0 सी0 (पी.टी.) दिनांक 15.01.2014 विफोर फाइनल अप्रुवल (स्टेज–।।) उल्लेख किया गया है।

4– प्रस्तावित परियोजना में एन0पी0वी0 की गणना 6.26 लाख की दर से की गयी है जबकि काष्ट वेनिफिट में 8.87 लाख से गणना की गयी है जो त्रुटिपूर्ण है।

5— प्रस्तावित परियोजना में प्रभावित आरक्षित वन भूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की स्पष्ट वचनबद्धता संलग्न नहीं है।

ओबरा वन प्रभाग

1— प्रस्तावित परियोजना में पार्ट—1 हार्ड कापी संलग्न नहीं की गयी हैं।

2— प्रस्तावित परियोजना में एन0पी0वी0 की गणना 6.26 लाख की दर से की गयी है जबकि काष्ट बेनीफिट में 8.87 लाख से गणना की गयी है।

3— प्रस्तावित परियोजना में प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा के साइट निरीक्षण प्रमाण—पत्र में बिन्दु संख्या— ए व बी में कुछ नहीं कहा गया है।

4— प्रस्तावित परियोजना की लीज अवधि पार्ट—1 ऑन लाइन में 35 वर्ष तथा प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ संख्या—63 पर 37 वर्ष उल्लेख किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है।

प्रस्तावित परियोजना में प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वन भूमि पर 09 वर्षों का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न किया गया है जो पूर्ण नही है। अतः 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण विस्तृत प्राक्कलन संलग्न कर अपलोड करें तथा संशोधित धनराशि ऑन लाइन भाग—2 व हार्ड कापी भाग—2 में सही करें।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव मूल में संलग्न है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

संख्या अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि जनरल मैनेजर, ओबरा—सी. बदायूँ ट्रान्समिसन लिमिटेड मकान नं0 116 ग्रीन पार्क कालोनी, बिलासपुर रोड, बरेली—243006 उ0 प्र0 को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

कार्या० प्र० व० अ० ओबरा वन प्रभाग
पत्रांक 3384 दिनांक 28-2-2020
प्रतिलिपि जनरल मैनेजर ओबरा सी-बदायूं ट्रान्समिशन लि० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि-
बिन्दु संख्या 1, 2, 3, 4 की आपत्तियों का
निवारण करते हुये संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध करायें
मूल प्रस्ताव साथ में संलग्न है।